आवेदन फार्म भरने के पूर्व दिये गये दिशा निर्देश आवश्य रूप से अवलोकन कर तत्पश्यात फार्म भरें ।

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद

यतो धर्मस्ततो जयः

उच्च न्यायालय परिसर , जबलपुर 482007 ☎: 0761- 4700083

Email : bar_council_mp@yahoo.in, Website : sbcofmp.org.in

अधिवक्ता नामांकन हेतु आवेदन पत्र

वर्ष ....

आवेदक का नाम श्री / श्रीमति / कु. ....

व्यवसाय स्थल (जहां विधि व्यवसाय करना है) ....

जन्म तिथी [|] [|] [|] जाति (SC/ST/GEN/OBC) [| |]

विधि अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष [| | |] आधार कार्ड नं. [| | | | | | | | | | |]

पिता/पति का नाम ....

पता/पत्र व्यवहार ....

.... पिन.............................. फोन/मो. ....

ई-मेल ....

विधि महाविद्यालय का नाम जहां से अध्ययन किया है ....

प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण वर्ष .... द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण वर्ष ....तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण वर्ष ....

चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण वर्ष ....पंचम सेमेस्टर उत्तीर्ण वर्ष .... छटवा सेमेस्टर उत्तीर्ण वर्ष ....

सातवां सेमेस्टर उत्तीर्ण वर्ष .... आठवां सेमेस्टर उत्तीर्ण वर्ष ....नवमां सेमेस्टर उत्तीर्ण वर्ष ....

दसवां सेमेस्टर उत्तीर्ण वर्ष ....

उत्तराधिकारी (नॉमिनी) का नाम ....

उत्तराधिकारी (नॉमिनी) से संबंध ....

सेवानिवृत्ति/एच्छिक सेवानिवृत्ति/नौकरी से बर्खास्त का दिनांक .... (अनिवार्य रूप से अंकित करें)।

Check &
Verify By :-

महत्वपूर्ण निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) नं. 352/2023 गौरव कुमार बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

1. नामांकन फॉर्म अभ्यार्थी परिषद की वेबसाईट **www.sbcofmp.org.in** से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. **नामांकन हेतु देय अनिवार्य शुल्क का विवरण**

नोट : बार कौंसिल कार्यालय में उपस्थि होकर फार्म जमा करने की दशा में नामांकन शुल्क की राशि परिषद कार्यालय से चालान प्राप्त कर केवल यूनियन बैंक, हाईकोर्ट शाखा में चालान जमा कर परिषद कार्यालय से रसीद प्राप्त करें। यदि शुल्क का भुगतान ड्राफ्ट के द्वारा कर रहें हैं तो ड्राफ्ट निम्न दिये निर्देश अनुसार ही बनवायें अन्यथा स्वीकार नहीं होंगें

क्र.	विवरण	सामान्य/ पिछड़ा वर्ग हेतु	अनु.जा./ जन.जा.हेतु	नामांकन आवेदन फार्म पोस्ट से भेजने हेतु निर्देश
1.	**नामांकन शुल्क**	600.00	100.00	ड्राफ्ट **STATE BAR COUNCIL OF M.P. JABALPUR** के नाम से देय होगा।
२.	**नामांकन शुल्क (बार कौंसिल ऑफ इंडिया का अंश)**	150.00	25.00	**Draft Bar Council of India Collection Fund, New Delhi Payable at Jabalpur** (जबलपुर में देय) के नाम से देय होगा। चालान,फार्म में संलग्न है जिसे पूर्ण रूप से भरे एवं ड्राफ्ट की जानकारी अवाश्यक रूप से भरें।

3. नामांकन फॉर्म के साथ आवेदक स्वयं का पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करें।
4. नामांकन फॉर्म परिषद में जमा होने के उपरांत आवेदक के शैक्षणिक दस्तावेज संबंधित बोर्ड एवं विश्वविद्यालय को वेरिफिकेशन हेतु प्रेषित किये जावेगें। वेरिफिकेशन होने के उपरांत नामांकन समिति द्वारा नामांकन किये जावेगें।
5. आवेदक अपना नामांकन आवेदन पत्र परिषद कार्यालय में स्वयं अथवा डाक के माध्यम से आवश्यक शुल्क दस्तावेज के साथ प्रेषित कर सकते हैं।
6. फार्म भरे जाने के संबंध में संलग्न आवश्यक निर्देशों को अच्छी तरह पढ़कर फार्म में आवश्यक विवरण लिखें, दस्तावेजों/प्रमाण–पत्र संलग्न करें एवं फोटो प्रतियां भी दें।
7. आवेदक अपना नाम आवेदन पत्र पर एल.एल.बी. की अंकसूची के अनुसार ही अंकित करें। (विवाहित महिला को छोड़कर)
8. आवेदन–पत्र के साथ अंकसूचियां की प्रमाणित प्रतिलिपियां 2 सेटों में भेजना आवश्यक है जिसे कमवार रखें (अ) हाई स्कूल, हायर सेकेन्ड्री का प्रमाण–पत्र जिसमें जन्मतिथी का उल्लेख है एवं अंक सूची (ब) स्नातक उपाधि का प्रमाण–पत्र एवं अंक सूची (सभी वर्षो /सेमेस्टर की) (स) स्नात्कोत्तर उपाधि का प्रमाण–पत्र / अंक सूची (दोनों वर्षो की) (द) एल.एल.बी. की सभी अंक सूचियां (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम एवं पांच वर्षीय पाठ्यकम / समस्त सेमेस्टर के अनुसार) (नोट इंटरनेट की अंकसूची मान्य नहीं होगी।) आधार कार्ड की प्रतिलिपी संलग्न करें।
9. विधि स्नातक की उपाधि (डिग्री) आवश्यक रूप से जमा करना अनिवार्य है।
10. आवेदन–पत्र के साथ दी जाने वाली रंगीन फोटो में से एक आवेदन–पत्र के पृष्ठ क. 6 में निर्धारित स्थान पर चस्पा करें, जिसको कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य/सचिव अथवा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव या प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित करायें तथा शेष दो अन्य छाया चित्र जो कि सत्यापित नहीं हो, बाजू में एक लिफाफे में रखकर संलग्न करें। (अधिवक्ता बेंड गणवेश वाली फोटो चस्पा लगाना मान्य नहीं है)
11. 6 x 3 का स्वय का पता लिखा लिफाफा आवश्यक रूप से संलग्न करें।
12. आवेदन–पत्र के कालम 13 से 21 में चाही गई जानकारियां आवश्यक रूप से भरें, तथा स्पष्ट रूप से चाही गई जानकारी को विस्तृत रूप में उल्लेख कर अपने हस्ताक्षर करें।
13. विशेष – जहाँ व्यवसाय स्थल होगा उसी स्थान का सम्पूर्ण पत्र व्यवहार का पता अंकित करना अनिवार्य है।
14. नामांकन आवेदन पत्र में जिन अधिवक्ताओं द्वारा आवेदक को अच्छे चरित्र का प्रमाण–पत्र दिया गया है, उनकी सील एवं नामांकन कमांक का उल्लेख आवश्यक रूप से करवायें।

11. नियमिति छात्र/छात्रा के रूप में विधि परीक्षा अध्ययन का एवं उत्तीर्ण करने के संबंध में विधि महाविद्यालय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

12. सिर्फ महिला आवेदकों के लिये (यदि आवश्यक हो तो) विवाह के पश्चात् यदि आपने उपनाम बदला है, तो इस संबंध में शपथ पत्र में इसकी घोषणा की जाये तथा महिला आवेदक आवेदन पत्र में इसी अनुसार जानकारी भरें।

13. प्रत्येक कालम के सामने चाही गयी जानकारी को आवश्यक रूप से भरें, यदि आप मांगी गयी जानकारी सही एवं पूर्ण नहीं भेजेंगे तो आपके नामांकन में विलंब हो सकता है, जिसका उत्तरदायित्व कार्यालय पर नहीं होगा।

14. मांगी गई उन सभी जानकारियों/घोषणाओं को जो संदर्भयुक्त नहीं है, पूर्ण जानकारी के साथ नहीं लिखकर हस्ताक्षर करिये।

15. आवेदक द्वारा नामांकित किये गये उत्तराधिकारी के मूल हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

16. हर महत्वपूर्ण जानकारी के पक्ष समर्थन में आवश्यक प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न करें, यदि आपको पूर्व में दंडित किया गया है या दिवालिया घोषित किया गया है, तो आवश्यक जानकारियाँ दें।

17. यदि आपको किसी उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य बार कौंसिल द्वारा नामांकित किये गया था, तो मूल प्रमाण–पत्र या अन्य कोई आवश्यक विवरणों के लिये सक्षम प्रमाण–पत्र जिससे कि नामांकन समिति संतोष व्यक्त कर सकें संलग्न करें।

18. यदि आप किसी फर्म/कंपनी/निगम/संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा बनाई गई फर्म से संबद्ध हैं तो विवरण एवं विस्तृत जानकारी आवश्यक रूप से दें। (नोट– आपराधिक प्रकरण/ बर्खस्तगी से संबंधित मामलों में मान. नामांकन समिति का आदेश अंतिम होगा।)

19. यदि आवेदक किसी न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है, अथवा उसके ऊपर कोई फौजदारी अथवा विभागीय जांच (सेवा कमी) प्रकरण चल रहा है, तो न्यायालय के द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपी चालान की टंकित प्रतिलिपी एवं न्यायालय की पिछली सुनवाई की तिथि की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें लंबित कार्यवाही का विवरण हो समस्त जानकारी सहित संलग्न करें।

20. यदि आप किसी फर्म में निष्क्रिय भागीदार हों, तो उक्त आशय की पार्टनरशिप डीड की प्रतिलिपी संलग्न करें, तथा सेवा से निवृत्त हुये हों, तो वास्तविक सेवामुक्ति प्रमाण–पत्र जो कि सेवा मुक्ति की अंतिम अथवा बाद की तिथि का हो संलग्न करें।

21. यदि आवेदक ने मैट्रिक से विधि की परीक्षा आवश्यक अवधि से अधिक वर्षो में उत्तीर्ण की है, जिन वर्षो में वह अध्ययन नहीं कर सका है, या उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, तो उसके संबंध में कम वार वर्षो के स्पष्टीकरण से युक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करें, तथा शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से पृथक कालम में उल्लेख करें, कि आवेदन देने की तिथि के पूर्व तक वह आवेदक किसी व्यवसाय अथवा नौकरी में संलग्न नहीं रहा है, तो अन्य स्थिति में शपथ पत्र में पिछले रोजगार/व्यवसाय का विस्तृत विवरण दें एवं रोजगार/व्यवसाय समाप्ति का विवरण दें, अपनी आय से संबंधित स्त्रोतों की जानकारी दें तथा सेवामुक्ति/व्यवसाय मुक्ति का प्रमाण–पत्र संलग्न कर ही आवेदन करें। (यदि गैप है तो पृथक से स्पष्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

22. यदि आवेदक अध्ययन करने वाले वर्षों में खेती कर रहा था, तो खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न की जाये और शपथ पत्र में भी उल्लेख किया जाये।

23. आवेदन पत्र से चालान फार्म के अतिरिक्त कोई भी पृष्ट पृथक न करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

24. आवेदक द्वारा दी जाने वाली जानकारी असत्य पाई जाती है तो परिषद उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

नोट : माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्देशानुसार विधि उपाधि (डिग्री) की प्रमाणित प्रति जमा करें।

नोट :- 1. प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। जाति प्रमाण पत्र म.प्र. का ही बना होना चाहिये।

2. जिन आवेदकों ने सत्र 2009-10 अथवा उसके बाद में विधि स्नातक की उपाधी प्राप्त की है उन्हें बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विधी व्यवसाय करने की पात्रता होगी। ऐसे आवेदकों को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न Undertaking प्रोफार्मा संलग्न हैं को 50/- (अंकन पचास रूपये) के नान-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज कर नामांकन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं। आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र न पाये जाने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनिवार्य रूप से चालान भरके स्टेट बार कॉंसिल जबलपुर में जमा करें

चालान फार्म स्वयें के हाथ से भरकर भेजना अनिवार्य है इसके अभाव में नामांकन में विलम्ब हो सकता है।

चालान फार्म स्वयं के हाथ से भरकर भेजना अनिवार्य है इसके अभाव में एनरोलमेंट नहीं किया जायेगा।

प्रथम प्रति बैंक के लिए	द्वितीय प्रति बार कौंसिल आफ इंडिया के लिए	तृतीय प्रति बार कौंसिल आफ म.प्र. के लिए	चतुर्थ प्रति आवेदक के लिए
Challan for Payment of Enrolment fee to the BAR COUNCIL OF INDIA, NEW DELHI. under the Advocates Act. 1961 (Receipt to be retained by the Bank for its record) Name of Bank : **UNION BANK OF INDIA** Name & Complete Address of the applicant (IN BLOCK LETTERS) ________ ________ ________ Amount paid Rs. 150/- For General Category (Rupees One Hundred Fifty Only) Amount paid Rs. 25/- For SC/ST/Category (Rupees Twenty Five Only) paid by D/D No. .... Dt. .... Drawn on .... Bank, Jabalpur. Signature of Applicant Date : Place : Payment received Name of Bank : **UNION BANK OF INDIA** S.B.C. Branch, Jabalpur A/c. 519302010005594	Challan for Payment of Enrolment fee to the BAR COUNCIL OF INDIA, NEW DELHI. under the Advocates Act. 1961 (Receipt to be retained by the Bank for its record) Name of Bank : **UNION BANK OF INDIA** Name & Complete Address of the applicant (IN BLOCK LETTERS) ________ ________ ________ Amount paid Rs. 150/- For General Category (Rupees One Hundred Fifty Only) Amount paid Rs. 25/- For SC/ST/Category (Rupees Twenty Five Only) paid by D/D No. .... Dt. .... Drawn on .... Bank, Jabalpur. Signature of Applicant Date : Place : Payment received Name of Bank : **UNION BANK OF INDIA** S.B.C. Branch, Jabalpur A/c. 519302010005594	Challan for Payment of Enrolment fee to the BAR COUNCIL OF INDIA, NEW DELHI. under the Advocates Act. 1961 (Receipt to be retained by the Bank for its record) Name of Bank : **UNION BANK OF INDIA** Name & Complete Address of the applicant (IN BLOCK LETTERS) ________ ________ ________ Amount paid Rs. 150/- For General Category (Rupees One Hundred Fifty Only) Amount paid Rs. 25/- For SC/ST/Category (Rupees Twenty Five Only) paid by D/D No. .... Dt. .... Drawn on .... Bank, Jabalpur. Signature of Applicant Date : Place : Payment received Name of Bank : **UNION BANK OF INDIA** S.B.C. Branch, Jabalpur A/c. 519302010005594	Challan for Payment of Enrolment fee to the BAR COUNCIL OF INDIA, NEW DELHI. under the Advocates Act. 1961 (Receipt to be retained by the Bank for its record) Name of Bank : **UNION BANK OF INDIA** Name & Complete Address of the applicant (IN BLOCK LETTERS) ________ ________ ________ Amount paid Rs. 150/- For General Category (Rupees One Hundred Fifty Only) Amount paid Rs. 25/- For SC/ST/Category (Rupees Twenty Five Only) paid by D/D No. .... Dt. .... Drawn on .... Bank, Jabalpur. Signature of Applicant Date : Place : Payment received Name of Bank : **UNION BANK OF INDIA** S.B.C. Branch, Jabalpur A/c. 519302010005594

नोट :

1. आवेदक चालान भरकर स्टेट बार कौंसिल को प्रेषित करें । राशि जमा होने के पश्चात् आवेदक की प्रति स्टेट बार कौंसिल से प्रदत्त की जायेगी ।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए केवल 25/– जमा करें तथा सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिये 150/– जमा करना अनिवार्य है ।
3. चालान केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट शाखा, जबलपुर में जमा होगा । अन्य स्थान पर जमा न करें । आवेदन भेजते समय इस चालान को अनिवार्य रूप से भरें मय उक्त डी.डी. की जानकारी सहित । डी.डी. जबलपुर में देय होगा।

स्टेट बार कौंसिल आफ मध्यप्रदेश
(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

नामांकन पत्र प्रकरण क्र.:-

....

व्यवसाय स्थल ....

जिला ....

आवेदन पत्र दिनांक .... समय .... को प्राप्त हुआ। एवं

क्रमांक .... पर दर्ज किया गया था निम्नलिखित संलग्न प्रपत्र लेखापाल के पास उचित कार्यवाही हेतु भेजे गये।

संलग्न :-

1. बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी./मार्कशीट भाग 1,2,3 डिग्री की सत्यप्रति।
2. हा.से.मार्कशीट / प्रमाण पत्र सत्यप्रति।
3. एम.ए./एम.काम./एम.एस.सी./मार्कशीट भाग 1,2 डिग्री की सत्यप्रति।
4. एल.एल.बी. भाग 1,2,3 की मार्कशीट, डिग्री की सत्यप्रति।
5. विनियमित छात्र प्रमाण-पत्र/सेवा निवृति प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति, जनजाति के लिए)।
6. चालान की प्रतिलिपि/शपथ पत्र एवं खसरे की प्रतिलिपि।
7. एल.एल. बी. प्रोविजनल प्रमाण-पत्र।
8. शपथ पत्र ....
9. अण्डर टेकिंग ....
10. पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट संलग्ल करें

आवक लिपिक

लेखा विभाग :-

क्र.	विवरण	रसीद क्रमांक	दिनांक	राशि	श्रेणी
1.	नामांकन शुल्क	....	....	600/-	Gen/OBC
		....	....	100/-	SC/ST
2.	बार कौंसिल ऑफ इंडिया को देय राशि चालान द्वारा (चालान की प्रति संलग्न)			150/-	Gen/OBC
	यूनियन बैंक के खाता क्र. 519302010005594 में जमा (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु)			25/-	SC/ST

लेखा लिपिक / लेखापाल

इस नामांकन प्रकरण में दस्तावेजों की जॉच की गई,
सचिव महोदय के समक्ष अनुशंसा सहित प्रस्तुत ।

दिनांक

नामांकन लिपिक

कार्यालयीन उपयोग हेतु

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH

HIGH COURT PREMISES, JABALPUR - 7 (M.P.)

(कम्प्यूटर शीट को आवश्यक रूप से भरें)

आवेदन फार्म भरते समय हर शब्द के बाद एक खण्ड खाली छोड़ें

यतो धर्मस्ततो जयः

अपनी नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो जिसमें नीचे नाम प्रिंट हो। (फोटो साफ सुथरी चिपकायें हस्ताक्षर एवं सील न लगायें)

TO BE FILLED BY THE APPLICANT IN ENGLISH (CAPITAL LETTERS)

1. NAME SHRI/SMT./KU. (IN ENGLISH)

आवेदक का नाम एल एल बी की अंक सूची के अनुसार ही भरें – विवाहित महिलाओं को छोड़कर।

नाम श्री / श्रीमति / कु. (हिंदी में)

आवेदक का नाम एल एल बी की अंक सूची के अनुसार ही भरें – विवाहित महिलाओं को छोड़कर।

2. FATHER'S/HUSBAND'S NAME (IN ENGLISH)

पिता/पति का नाम (हिंदी में)

3. MOTHER'S NAME

माता का नाम (हिंदी में)

4. CASTE (SC/ST/GEN./OBC)

5. DATE OF BIRTH

6. Addhar no. (आधार नं)

7. L.L.B. Final Passing Year

8. BLOOD GROUP

9. FULL ADDRESS FOR CORRESPONDANCE (केवल व्यवसाय स्थल वाला पूर्ण पता लिखे)

10. TELEPHONE/MOB. NO.

11. E-mail Address

12. PLACE OF PRACTICE
व्यवसाय स्थल

13. NAME OF NOMINEE
उत्तराधिकारी का नाम अनिवार्य रूप से भरे आवेदन पत्र के पृष्ठ कमांक 7 कंडिका नं. 5–द–1 के अनुसार

14. RELATIONSHIP
आवेदक से संबंध

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट – आवेदक ऊपर अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो जिसमें नीचे की तरफ आवेदक का नाम प्रिंट हो चिपकायें।

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

हाईकोर्ट परिसर, जबलपुर फोन – 0761- 4700083

एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंतर्गत नामांकन हेतु आवेदन पत्र (अधिनियम क्रमांक 25 –वर्ष 1961)

(बार कौसिंल ऑफ मध्यप्रदेश के नियम 140 के अंतर्गत)

1. **आवेदक का नाम (हिन्दी में)** ....
   (उपनाम पहले लिखें, विवाहित महिलाओं को छोड़कर आवेदक का नाम एल एल बी की अंक सूची के अनुसार ही भरें।)

   नाम अंग्रेजी में ....

   जन्म तिथि अंकों में :- ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ जाति (GEN./OBC/SC/ST) ☐☐☐

   जन्म तिथि शब्दों में : ....

   पिता/पति का नाम (हिन्दी में) ....

   (अंग्रेजी में) ....

   माता का नाम (हिन्दी में) ....

   (अंग्रेजी में) ....

2. पता : 1. स्थायी (म.प्र.) ....

   ....

   ....पिन..............................

   2. पत्र व्यवहार हेतु पूर्ण पता (हिन्दी में) ....

   विशेष :– पत्र व्यवहार का स्थल एवं व्यवसाय स्थल एक ही होना अनिवार्य है तभी नामांकन हो सकेगा।

   ....

   ....

   (अंग्रेजी में) ....

   ....

   फोन नं./मोबाईल नं. ऑफिस ....घर ....मोबाईल ....

व्यवसाय स्थल ....तहसील..............................जिला..............................(म.प्र.)

ई–मेल ....

* कृपया फुटनोट देखें

समक्ष मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर (म.प्र.)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, ... यह घोषित करता/करती हूँ, कि मैं मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्त परिषद द्वारा परिलक्षित नामावली पर अधिवक्ता के रूप में नामाँकित किये जाने हेतु इच्छुक हूँ, व तदानुसार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ।

नोट :– फार्म भरने के पूर्व निर्देशों का अध्ययन करके भरें।

* **व्यवसाय स्थल पर यदि सिविल कोर्ट नहीं है तो व्यवसाय स्थल के साथ जो भी सबसे नजदीक सिविल कोर्ट हो उसका उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।** * **समस्त कालम आवश्यक रूप से भरें।**

1. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि मैं भारतीय नागरिक हूँ (यदि नहीं तो दर्शायें कि आप किस आधार पर अधिवक्ता के रूप में नामांकित किये जाने हेतु समक्ष पात्र हैं।)

2. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कि मैंने अपनी आयु के 21 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं तथा मेरी जन्म तिथि .... है। एवं मेरी आवेदन तिथि को वास्तविक आयु .... है।

हस्ताक्षर ....

3. मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नामांकित होने पर मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत् .... मेरा विधि व्यवसाय स्थल .... जिला .... (म.प्र.) (नगर का नाम) होगा।

4. मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि मैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 तथा बार कौसिंल ऑफ इंडिया के नियमों तथा स्टेट बार कौसिंल ऑफ म.प्र. के वर्तमान प्रभावशील नियमों के अंतर्गत नामावली पंजी पर अधिवक्ता के रुप में दर्ज किये जाने हेतु अर्ह हूँ।

5. **स्नातक संबंधी जानकारियाँ :–**

अ. महाविद्यालय का नाम व स्थान जहाँ से कला/वाणिज्य/विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की ....

विश्वविद्यालय का नाम व स्थान ....

....

ब. उपाधि प्राप्त किये जाने का वर्ष ....

स. उपाधि का नाम ....

द. क्या अंग्रेजी उसमें एक विषय था ....

इ. विधि शिक्षा ग्रहण करने के पूर्व प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता संबंधी अन्य जानकारियाँ, यदि हों तो ....

6. **उनके द्वारा पूर्ति की जावे जो स्नातक न हो :–**

अ. अन्य शैक्षणिक अर्हताएँ बार कौसिंल ऑफ इंडिया द्वारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा (1) (सी) (3) अथवा (4) के अंतर्गत निर्धारित समकक्ष उपाधि के संबंध में, विवरण यदि कोई हो तो ....

....

ब. उक्त पाठयक्रम में शिक्षा का माध्यम ....

7. मैंने एडवोकेट्स एक्ट 24 (1) (सी) एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत बार कौसिंल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत में स्थित, विश्वविद्यालय के अंतर्गत, बार कौंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से विधि की उपाधि नियमित छात्र/छात्रा के रुप में अध्ययन कर प्राप्त की है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

विधि उपाधि संबंधी जानकारियां निम्नानुसार हैं :–

अ. विश्वविद्यालय का नाम व स्थान जहाँ से विधि उपाधि प्राप्त की गई ....

....

ब. विधि उपाधि का नाम ....

स. विधि शिक्षा ग्रहण करने के शैक्षणिक वर्ष तथा वह वर्ष जिसमें उपाधि प्राप्त की गई } प्रथम वर्ष .... द्वितीय वर्ष .... तृतीय वर्ष .... चतुर्थ वर्ष .... पंचम वर्ष ....

द. बार कौसिंल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त विधि महाविद्यालय का नाम जहाँ से विधि शिक्षा प्राप्त की गई व पूर्ण की गई

....

इ. क्या उपाधि स्वाध्यायी या नियमित छात्र के रुप में प्राप्त की गयी ....

नोट : नियमित छात्र के रुप में उपाधि प्राप्त करने का प्रमाणपत्र संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त कर संलग्न करें।

ई. विधि शिक्षा पाठयक्रम की अवधि, (दो/तीन/पाँच/वर्षीय) विवरण दें ....

उ. विधि कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम ....

ऊ. अन्य आवश्यक जानकारियों यदि कोई हों तो ....

....

संलग्न प्रमाण पत्र –

नोट :– नियमित छात्र/छात्रा के रुप अध्ययन करना अनिवार्य है। (विधि कालेज से समस्त वर्षों का नियमित प्रमाण पत्र आवश्यक रुप से जमा करें।)

---

*समस्त कॉलम (कंडिकाऐं) आवश्यक रूप से भरें जो कॉलम संदर्भ युक्त नहीं है के संबंध में स्पष्ट विवरण सहित जानकारी लिखकर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें ।

8. केवल उन आवेदकों द्वारा पूर्ति की जाय जिन्होनें विधि उपाधि भारत के बाहर अन्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त की हों :–

मैंने विधि उपाधि भारतीय सीमा से बाहर स्थिति विश्वविद्यालय जो कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है, प्राप्त की है तथा इस संबंध में आवश्यक जानकारियाँ निम्नानुसार हैं :–

अ. विश्वविद्यालय का नाम व स्थान ....

....

उपाधि का नाम ....

9. अ. मैं बैरिस्टर एट लॉ हूँ, जिस बार वर्ष .... में कहा गया और धारा 24 (1) (सी) के अंर्तगत अर्ह हूँ।

ब. मैं छात्रावास में वर्ष .... में शिक्षा ग्रहण की, उसका विवरण निम्नानुसार है।

....

10. केवल उन आवेदकों द्वारा पूर्ति की जावे जो निम्नांकित श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं :–

मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि मुझे प्लीडर/वकील/मुख्त्यार/एटार्नी अधिवक्ता के रूप में ....
.... उच्च न्यायालय/ज्यूडीशियल कमिश्नर कोर्ट ....
डिस्ट्रिक्ट जज/ .... द्वारा नामांकित किया गया था।

11. मेरे द्वारा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों/अंक सूचियों/डिग्री की फोटो प्रतिलिपियाँ जो कि श्री ....
सदस्य म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद/अध्यक्ष या सचिव अधिवक्ता संघ ....
/ .... के नोटरी श्री .... दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा सत्यापित है, इस पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

अ. हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अंक सूची/प्रमाण पत्र उत्तीर्ण वर्ष ....।

ब. स्नातक उपाधि की अंक तालिकायें/प्रमाण पत्र

(डिग्री का नाम .... उत्तीर्ण वर्ष ....)

स. (स्नातकोत्तर उपाधि की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (यदि कोई हो तो)

उपाधि का नाम .... उत्तीर्ण वर्ष ....

द. विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्षों की अंक तालिका एवं उपाधि पत्र यदि उपलब्ध हो.

उत्तीर्ण प्रथम वर्ष .... द्वितीय वर्ष .... तृतीय वर्ष ....

चतुर्थ वर्ष .... पंचम वर्ष ....

इ. अन्य संलग्न दस्तावेज इस प्रकार हैं :– ....

ई. ....

उ. ....

12. मेरे द्वारा निम्नलिखित दो अधिवक्ताओं जिनके नाम मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की नामावली पर हैं, तथा जो 5 वर्ष से अधिक समय से विधि व्यवसाय कर रहें हैं, से चरित्र प्रमाण पत्र तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, कि मैं आवेदक मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की नामावली पर अधिवक्ता के रूप में नामांकित किये जाने हेतु पात्रता रखता हूँ, संलग्न किये जा रहे हैं :–

(विवरण दर्शायें)

	अधिवक्ता का नाम	व्यवसाय स्थल	नामांकन क्रमांक/वर्ष एवं तिथि
1.	....	....	....
2.	....	....	....

---

*समस्त कॉलम (कंडिकाऐं) आवश्यक रूप से भरें जो कॉलम संदर्भ युक्त नहीं है के संबंध में स्पष्ट विवरण सहित जानकारी लिखकर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें ।

महत्वपूर्ण :– निम्नांकित क्रमांकों कि जानकारी एवं विवरण स्पष्ट रुप से दिया जाये, तथा प्रत्येक क्रमांक पर हस्ताक्षर करें :–

13. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि मैं कहीं भी पूर्ण अथवा अंशकालिक रुप में किसी अन्य वृत्ति या रोजगार में संलग्न नहीं हूँ। (यदि आप अंशकालिक रुप में वृत्तिरत् हैं व वर्तमान में प्रभावशील नियमों के अधीन नामांकन की पात्रता रखते हैं, तो नियम सहित जानकारी दें ....
....

हस्ताक्षर ....

14. (केवल उन आवेदकों द्वारा पूर्ति की जाये जो पूर्व में सेवा या वृत्ति कर रहे थे, और सेवा निवृत हो चुके हैं) (सप्रमाण जानकारी दें) मैंने अपनी पूर्व सेवा/वृत्ति दिनांक .... से सेवा समाप्ति/निवृत्ति/त्यागपत्र/बर्खास्तगी/पदच्युत किये जाने के फलस्वरुप या निम्न कारणों से छोड़ दी है ....
....

हस्ताक्षर ....

15. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि पूर्व में मैं सेवारत् नहीं था/थी।

हस्ताक्षर ....

16. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि मैं किसी व्यापार/व्यवसाय अथवा वृत्ति में वर्तमान में कार्यरत नहीं हूँ। यदि आप किसी व्यापार/व्यवसाय अथवा वृत्ति में कार्यरत हैं व वर्तमान में प्रभावशील नियमों के अधीन नामांकन की पात्रता रखते हैं तो तत्संबंधी विवरण एवं जानकारियाँ दें ....
.... ।

हस्ताक्षर ....

17. उन आवेदकों द्वारा पूर्ति की जावे, जो किसी व्यापार/व्यवसाय अथवा वृत्ति में पूर्व में कार्यरत थे :–

(प्रमाण पत्र आवश्यक रुप से संलग्न करें) (आवेदकों से अपेक्षा की जाती है, कि वह अपना उत्तर पूर्ण सत्यता एवं निष्ठा से दें)

मैंने अपना पूर्व व्यवसाय/व्यापार/वृत्ति वर्ष .... में निम्नांकित कारणों से छोड़ दिया है। ....
....
....

(उक्त छोडने का लायसेंस/प्रमाण पत्र आवश्यक रुप से संलग्न करें।)

हस्ताक्षर ....

18. ऐसी अन्य परिस्थितियाँ अथवा घटना का यदि, कोई हो, तो उल्लेख करें, जो नामांकन की पात्रता के संदर्भ में आपके चरित्र या योग्यता को प्रभावित करते हों ....

हस्ताक्षर ....

19. मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पूर्व में अधिवक्ता के रुप में नामांकित किये जाने हेतु मैंने कहीं भी कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है/था।

हस्ताक्षर ....

अन्यथा

मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता है कि मैंने नामांकन हेतु पूर्व में आवेदन पत्र दिया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–
....

20. स्पष्ट हां या नहीं लिखकर हस्ताक्षर करें –

अ. क्या पूर्व में आपको भारत अथवा भारत के बाहर किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया था। } हॉ या नहीं लिखे .... हस्ताक्षर ....

यदि उत्तर हाँ में है तो संबंधित न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमाँक, उसके आदेश व निर्णय दिनांक तथा कोई अपील या रिवीजन प्रस्तुत की गई थी / } हॉ या नहीं लिखे .... हस्ताक्षर ....
हो या तो निर्णय अंतिम आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक विवरण दें।

ब. क्या कोई आपराधिक कार्यवाही आपके विरुद्ध लंबित है यदि हॉ तो न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमाँक, एवं लंबित कार्यवाही का स्वरुप } हॉ या नहीं लिखे .... हस्ताक्षर ....
एवं कानूनी धाराओं का पूर्ण विवरण, चालान तथा अंतिम पेशी दिनांक की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि, संलग्न कर विवरण उल्लेखित करें।

***समस्त कॉलम (कंडिकाऐं) आवश्यक रूप से भरें जो कॉलम संदर्भ युक्त नहीं है के संबंध में स्पष्ट विवरण सहित जानकारी लिखकर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें ।**

स. क्या सेवाकाल में आपको बर्खास्त/निलंबित अथवा किसी अन्य प्रकार से दंडित किया गया था, यदि हाँ तो विवरण आवश्यक प्रमाणों सहित प्रस्तुत करें। इसके अलावा इस संदर्भ में आपके द्वारा यदि कोई न्यायिक कार्यवाही .... की गई है तो उक्त संबंधी जानकारी भी दें। } हॉं या नहीं लिखे ....
हस्ताक्षर

21. क्या किसी न्यायालय द्वारा आपको दिवालिया घोषित किया गया है, यदि हाँ तो आवश्यक विवरण दें। } हॉं या नहीं लिखे ....
हस्ताक्षर ....

22. मैं एडवोकेट एक्ट्स 1961 की धारा 24 (1) (एफ) के अंतर्गत नामांकन शुल्क की राशि का भुगतान /बैंक ड्राफ्ट द्वारा कर रहा/रहीं हूँ।

(इस संदर्भ में अन्य देय शुल्क/राशियों हेतु संलग्न निर्देश का पठन कर तदानुसार आवश्यक भुगतान करें।)

23. अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है ।
जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश का होना अनिवार्य है ।

24. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि यदि मुझे अधिवक्ता के रुप में स्वीकार किया जाता है, तो मेरे द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद तथा बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सभी नियमों व समय-समय पर होने वाले संशोधनों का जिसके अंतर्गत अधिवक्ताओं की राज्य नामावली व भारत की सामान्य नामावली पर नामांकित अधिवक्ताओं के आचरण पर नियंत्रण रखा जाता है, का निष्ठापूर्वक पालन किया जायेगा।

मेरे द्वारा अधिवक्ताओं के व्यावसायिक सदाचार एवं आचरण से संबधित प्रभावशील नियमों का अध्ययन कर लिया गया है।

25. मेरे द्वारा, इस संदर्भ में की गई अपेक्षाओं के अनुरुप आचरण किये जाने की वचन बद्धता दी जाती है।

26. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि इस आवेदन पत्र में उल्लेखित किये गये कथन व तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं एवं यदि उक्त असत्य निकले तो परिषद को मेरे विरुद्ध सनद निलंबित कर वैधानिक जांच की कार्यवाही करने/कराने का अधिकार होगा।

27. मेरे द्वारा यह यह वचन दिया जाता है, कि इस आवेदन पत्र के संबंध में कोई अन्य जानकारी, यदि मुझसे प्राप्त होनी है, तो उसे निर्देशानुसार मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

28. मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र के साथ अपने तीन नवीनतम छायाचित्र प्रेषित किये जा रहे हैं, जिनमें एक छायाचित्र निर्दिष्ट स्थान पर चिपका दिया गया है, जिसको कि राज्य अधिवक्त परिषद के सदस्य/सचिव अथवा मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव अथवा दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा सत्यापित कर सील लगाई है, तथा शेष दो अन्य छायाचित्र जो कि असत्यापित हैं, पिन से संलग्न किये जा रहे हैं।

***समस्त कॉलम (कंडिकाऐं) आवश्यक रूप से भरें जो कॉलम संदर्भ युक्त नहीं है के संबंध में स्पष्ट विवरण सहित जानकारी लिखकर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें ।**

<u>दो छायाचित्रों के लिये स्थान</u>

(छायाचित्रों, पासपोर्ट साईज में हो, एक चिपकाकर सत्यापित करायें एवं दो छायाचित्र एक छोटे लिफाफे में रखकर लिफाफा यहां पेज नं 6 पर संलग्न करें। कंडिका 29 का अवलोकन करें) अधिवक्ता गणवेश बैण्ड वाली फोटो नहीं लगायें।

सत्यापित छायाचित्र

आवेदक के हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण टीप :–

यदि इस आवेदन पत्र में उल्लेखित किया कोई कथन अथवा तथ्य अथवा दिया गया विवरण किसी भी समय असत्य पाया गया, तो आपका नाम एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 26 की उपधारा 1 के अंतर्गत अधिवक्ता नामावली से काट दिया जायेगा।

● *अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण पत्र* ●

(मात्र उन्हीं अधिवक्ताओं द्वारा दिया जाये जो पाँच वर्ष से अधिक समय से अधिवक्ता के रुप में व्यवसायरत हैं)

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि, इस नामांकन आवेदन पत्र के माध्यम से अधिवक्ता के रूप में नामांकित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....निवासी .... से मैं लगभग पिछले ....वर्षों से व्यक्तिगत रुप से भली–भांति परिचित्र हूँ। मेरे द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद् को आश्वस्त कराया जाता है, कि ये सम्मानीय व्यक्तिव के हैं, एवं मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् की अधिवक्ता नामावली में नामांकित किये जाने हेतु योग्य एवं उचित व्यक्ति हैं।

प्रमाण पत्र देने वाले अधिवक्ता का नाम ....

व्यवसाय स्थल ....।

नामांकन क्रमांक एवं वर्ष ....

दिनांक ....

स्थान ....

अधिवक्ता के हस्ताक्षर एवं सील
(सील आवश्यक है)

● *अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण पत्र* ●

(मात्र उन्हीं अधिवक्ताओं द्वारा दिया जाये जो पाँच वर्ष से अधिक समय से अधिवक्ता के रुप में व्यवसायरत हैं)

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि, इस नामांकन आवेदन पत्र के माध्यम से अधिवक्ता के रूप में नामांकित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....निवासी .... से मैं लगभग पिछले ....वर्षों से व्यक्तिगत रुप से भली–भांति परिचित्र हूँ। मेरे द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद् को आश्वस्त कराया जाता है, कि ये सम्मानीय व्यक्तिव के हैं, एवं मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् की अधिवक्ता नामावली में नामांकित किये जाने हेतु योग्य एवं उचित व्यक्ति हैं।

प्रमाण पत्र देने वाले अधिवक्ता का नाम ....

व्यवसाय स्थल ....।

नामांकन क्रमांक एवं वर्ष ....

दिनांक ....

स्थान ....

अधिवक्ता के हस्ताक्षर एवं सील
(सील आवश्यक है)

*समस्त कॉलम (कंडिकाऐं) आवश्यक रूप से भरें जो कॉलम संदर्भ युक्त नहीं है के संबंध में स्पष्ट विवरण सहित जानकारी लिखकर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें ।

घोषणा

अ. मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि अधिवक्ता के रुप में नामांकित किये जाने के उपरान्त, यदि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का पूर्णकालीन/अंशकालीन रोजगार अथवा नौकरी या कोई अन्य वृत्ति/व्यवसाय/व्यापार (मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के नियमों के अनुरुप छूट की पात्रता के अतिरिक्त) किया जायेगा, तो मैं तत्काल इस आशय की सप्रमाण सूचना मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सनद को निलंबित करा लूंगा/लूंगी एवं मेरे द्वारा अधिवक्ता व्यवसाय तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जावेगा।

ब. मेरे द्वारा यह वचन दिया जाता है, कि मेरे द्वारा ऐसा कोई नियोजन जो मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के दृष्टिकोण में अधिवक्ताओं के स्तर को अप्रतिष्ठित करने वाला हो स्वीकार नहीं किया जायेगा।

स. मेरे द्वारा यह घोषित करते हुये वचन बद्धता दी जाती है कि :-

1. मेरे द्वारा भारतीय संविधान और राष्ट्र के कानूनों का निष्ठा पूर्वक पालन किया जायेगा।
2. मेरे द्वारा बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित व्यावसायिक आचार संहिता एवं सदाचार संबंधी नियम जिन्हें कि मैंने अच्छी तरह अध्ययन कर समझ लिया है, के अनुरुप ही आचरण किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा एडवोकेट एक्ट 1961 तथा उसके अंतर्गत विरचित समस्त नियमों, निर्देशों एवं दायित्वों का जिनके अनुरुप प्रत्येक अधिवक्ता से आचरण की अपेक्षायें की गई हैं, का निष्ठापूर्वक पालन किया जायेगा।
4. मेरे द्वारा यह वचन दिया जाता है कि नामांकित होने की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर मेरे द्वारा घोषित व्यवसाय स्थल के राज्य अधिवक्ता परिषद से मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघ की सदस्यता ग्रहण कर इस आशय की सूचना राज्य अधिवक्ता परिषद को पंजीकृत डाक से प्रेषित करुँगा/करुँगी तथा भविष्य में, यदि मेरे द्वारा अपने निवास या व्यवसाय स्थल में परिवर्तन किया जायेगा तो, इस आशय की सूचना मेरे द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद को तत्काल पंजीकृत डाक से प्रेषित कर दी जायेगी, जिससे कि परिषद की मतदाता सूची व अन्य महत्वपूर्ण रिकार्ड में परिवर्तन के अनुसार प्रविष्टिंया हो सकें।
5. यदि मुझे किसी न्यायालय द्वारा अपराध किये जाने का दोषी मानकर दंडित किया जायेगा, तो इस आशय की सूचना, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित पंजीकृत डाक से मेरे द्वारा म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद को तत्काल प्रेषित कर दी जायेगी एवं म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा दिये जाने वाले निर्देश/निर्णय मुझ पर बंधनकारी रहेंगे एवं ऐसे निर्देश/निर्णय के अनुरुप पालन किये जाने हेतु मेरे द्वारा वचन बद्धता दी जाती है।

द. यदि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परषिद की अधिवक्ता नामावली पर मुझे अधिवक्ता के रुप में स्वीकार किया जाता है तो :-
(चाही गई जानकारी आवश्यक रुप से भरें)

1. मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता है कि परिषद द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की दावा राशि प्राप्त करने हेतु श्री/श्रीमती/कु. ....
मेरे द्वारा एतद् नामांकित उत्तराधिकारी होंगे जो कि रिश्ते में मेरे/मेरी .... हैं।
2. मेरे द्वारा उक्त नामांकित उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाते हैं।

नामांकित उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर आवेदक द्वारा प्रमाणीकरण एवं हस्ताक्षर

3. मेरे द्वारा यह वचन दिया जाता है कि भविष्य में उक्त नामांकन के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक होने की दशा में, म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद को पंजीकृत डाक से मेरे द्वारा आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रेषित कर सूचित किया जायेगा।

मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि इस आवेदन पत्र में वर्णित किये गये सभी तथ्य एवं जानकारियाँ पूर्णतः सत्य हैं एवं प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज वास्तविक हैं। यदि कोई भी तथ्य, जानकारी, दस्तावेज गलत, मिथ्या या कूटरचित पाए जाएँ तो मेरा नाम अधिवक्ता नामावली से काट दिया जाये।

दिनांक ....

स्थान .... आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

(5 - द - 1 में नामांकित उत्तराधिकारी का नाम आवश्यक रुप से लिखें।
नामांकित उत्तराधिकारी का नाम लिखना सभी आवेदकों हेतु अनिवार्य है।)

---

*समस्त कॉलम (कंडिकाऐं) आवश्यक रूप से भरें जो कॉलम संदर्भ युक्त नहीं है के संबंध में स्पष्ट विवरण सहित जानकारी लिखकर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें ।

इस प्रोफार्मा को 50/– रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटराइज करा कर भेजना अनिवार्य है ।

UNDERTAKING

I, ...S/o / D/o ....

.... R/o ....

....

I have to apply for the registration as an Advocate with State Bar Council of Madhya Pradesh. I have to apply for the next All India Bar Examination (AIBE). I undertake that I will practice as an advocate provisionally till, I qualify the All India Bar Examination and I shall pass the examination within two year from the date of enrolment whichever is earlier. I further undertake that in case, I do not qualify the All India Bar Examination within two years from the date of enrolment, I will not practice as an Advocate before any Court in India and I shall abide by the decisions of Bar Council of India and State Bar Council of Madhya Pradesh.

Date : ....

Place : ....

Signatures ....

Name ....

Address ....

....

....

Mob.No. ....

नोट :-

जिन आवेदकों ने सत्र 2009-10 अथवा उसके बाद में विधि स्थानतक की उपाधी प्राप्त की है उन्हें बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विधी व्यवसाय करने की पात्रता होगी। ऐसे आवेदकों को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न Undertaking प्रोफार्मा को 50/- अंकन पचास रूपये के नान-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज कर नामांकन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं। आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र न पाये जाने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्ष 2010 के पहले विधि स्नातक आवेदको के लिये अंडर टेकिंग अनिवार्य नहीं है।

प्रारूप शपथ-पत्र

आवेदक द्वारा शपथ-पत्र 50/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पर नोटराइज करवाकर संलग्न करना

मैं...पुत्र / पुत्री पत्नी श्री..उम्र...............
निवासी...(म.प्र.) मो. ....
शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ किः—

1. यह कि मैं जन्म से भारतीय हूँ।
2. यह कि मेरी जन्म तिथि...है और मेरी उम्र 21 वर्ष से अधिक है।
3. यह कि मैं कभी अपराध में दण्डित नहीं हुआ हूँ।
4. यह कि मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी एक्ट मे कोई मुकदमा किसी फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही मुझे किसी सेवा से बर्खास्त / निलंबित किया गया है और न ही सजा हुई है (यदि हॉ है तो पृथक से शपथ—पत्र के साथ प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।) और न ही किसी अपराधिक केस में मेरी गिरफ्तारी हुई है और न ही मेरे विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई विवेचना चल रही है।
5. यह कि मै कभी किसी शासकीय / अशासकीय नौकरी,व्यापार में कार्यरत नहीं था और न इस समय हूँ। एवं एल.एल. बी. वर्ष .... में उत्तीर्ण करने के उपरांत आज तक मैं .... कर रहा था । (यदि किसी नौकरी या व्यापार में संलग्न थे तो नौकरी छोड़ने का त्याग—पत्र / व्यापार बंद करने का प्रमाण सहित पृथक से शपथ—पत्र देवे तथा खेती में संलग्न थे तो खसरा की प्रमाणित प्रति सहित प्रस्तुत करें)
6. यह कि मैं वर्तमान में विधि के अतिरिक्त अन्य अध्ययन कर रहा हूँ .... ।
7. यह कि मेरा वर्तमान में आय—व्यय का साधन ....हैं । किस पर निर्भर है। विवरण दे .... ।
8. यह कि मैंने इसके पूर्व किसी बार कौंसिल अथवा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र नहीं दिया है और न ऐसा कोई प्रार्थना—पत्र अस्वीकृत हुआ।
9. यह कि मैंने हाईस्कूल की परीक्षा सन्...........................में उत्तीर्ण की है। रोल नंबर..
   शाला... है। (सत्यप्रतिलिपि / प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।)
10. यह कि मैंने हायर सेकेण्डरी की परीक्षा सन्.................में उत्तीण की है। रोल नंबर..
   शाला... (सत्यप्रतिलिपि / प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।)
11. यह कि मैंने स्नातक की परीक्षा सन्..............................मे उत्तीर्ण की है। रोल नंबर..
   शाला... (सत्यप्रतिलिपि / प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।)
12. यह कि मैंने विधि स्नातक की परीक्षा सन्.................... में उत्तीर्ण की है। रोल नंबर..
   शाला... (सत्यप्रतिलिपि / प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।)
13. यह कि मेरा हाईस्कूल से लेकर विधि अंतिम वर्ष अध्ययन के दौरान अथवा उसके उपरांत वर्ष .... से वर्ष .... तक गैफ (अंतराल) हो गया था, जिसका कारण था कि .... ।
14. यह कि अधिवक्ता के रूप में बार कौंसिल द्वारा पंजीकृत किये जाने के बाद मेरे विरूद्व Moral Turpitude के अन्दर आने वाला कोई भी अपराधिक वाद या एफ0आई0आर0 कायम होता है तो मैं उपरोक्त अपराधिक वाद से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट या यदि परिवाद कायम होता है तो परिवाद की प्रतिलिपि मध्य प्रदेश बार कौंसिल को उक्त तथ्य की जानकारी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दूंगा। इस बात को सुनिश्चत करूंगा कि परिवाद या एफ0आई0आर0 की प्रति बार कौंसिल को मिल गई है।

(ब) यह कि अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के पश्चात् यदि मै अपने जीवन यापन हेतु किसी अन्य व्यापार, व्यवसाय या नौकरी या अन्य व्यवसाय को जीविकोपार्जन के साधन के रूप में अपनाता हूँ तो मेरे द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र तत्काल बार कौंसिल मध्य प्रदेश के कार्यालय में समर्पित कर दिया जायेगा और ऐसा न करने पर मै भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषी माना जाऊंगा ।

(स) यह कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा की गई घोषणा मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य है तथा कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है।

15. कोई विशेष उल्लेख।

   यह कि शपथ—पत्र के उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से ....तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है, इसमें कोई भी बात असत्य नहीं है।

   आज दिनांक.............................स्थान...पर सत्यापित किया।

शपथकर्ता / शपथकर्ती

चेकलिस्ट

संलग्न प्रमाणित दस्तावेज निम्नानुसार है

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र ।
2. हायर सेकेन्डरी मार्कशीट/प्रमाण पत्र सत्यप्रति ।
3. बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी./मार्कशीट भाग 1,2,3 एवं डिग्री की सत्यप्रति ।
4. एम.ए./एम.काम./एम.एस.सी. मार्कशीट भाग 1, 2 एवं डिग्री की सत्यप्रति ।
5. एल.एल.बी. भाग 1,2,3 की मार्कशीट एवं डिग्री की सत्यप्रति ।
6. विधि महाविद्यालय का नियमित प्रमाण पत्र
7. विनियमित छात्र प्रमाण–पत्र/सेवा निवृत्ति प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र (अनु. जाति, जनजाति के लिए)
8. चालान की प्रतिलिपि/शपथ पत्र एवं खसरे की प्रतिलिपि ।
9. एल.एल.बी. प्रोविजनल प्रमाण पत्र
10. अण्डर टेकिंग (50/– के स्टाम्प पर)
11. शपथ पत्र (50/– के स्टाम्प पर)
13. दो फोटो
14. नामांकन शुल्क ड्राफ्ट स्टेट बार कौंसिल ऑफ म.प्र. जबलपुर के नाम ।
15. नामांकन शुल्क ड्राफ्ट बार कौंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड, नई दिल्ली के नाम से ।
16. पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट ।
17. अन्य ....
....

नोट :– 1. स्नातक की समस्त वर्षो/सेमेस्टर की प्रमाणित अंक सूची लगाना अनिवार्य है ।
2. पासपोर्ट फोटो साधारण लगाये अधिवक्ता गणवेश (बैण्ड) हर्गिज न लगावे ।

हस्ताक्षर आवेदक